

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत इस्माइल अंसारी पिता ज़ाकिर मियां, मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद रियासत, मोहम्मद क्यूम अंसारी पिता ईमामुद्दीन मियां, मोहम्मद इब्राहिम पिता मोहम्मद ज़ाकिर मियां और मोहम्मद सनौल्लाह पिता अब्दुल अज़ीज़ अंसारी निवासी ग्राम: कल्यांपुर, थाना: पिपरवार , जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: मंगरदाहा, थाना सं: 80 (गैरमजूरवा)(जंगल झारी) खाता सं. 22 के अधीन प्लॉट सं: 22(पी), 60, 270, 313, 320, 358, 376 & 176, कुल रकबा - 10.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: कल्यांपुर, थाना: पिपरवार , जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: मंगरदाहा, थाना सं: 80 (गैरमजूरवा))(जंगल झारी) खाता सं. 22 के अधीन प्लॉट सं: 22(पी), 60, 270, 313, 320, 358, 376 & 176, कुल रकबा - 10.00 एकड़ भूमि के तहत इस्माइल अंसारी पिता ज़ाकिर मियां, मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद रियासत, मोहम्मद क्यूम अंसारी पिता ईमामुद्दीन मियां, मोहम्मद इब्राहिम पिता मोहम्मद ज़ाकिर मियां और मोहम्मद सनौल्लाह पिता अब्दुल अज़ीज़ अंसारी निवासी ग्राम: कल्यांपुर, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

